29.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1, 7 व 8 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री सुरेन्द्रसिंह, एड. ने उपस्थित होकर वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/1387/भू.अ./2017 दिनांक 04 मई, .2017 के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दावा में तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष से बहस सुनी गई। उपरोक्त अवलोकन व बहस मनन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 कि ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/1387/भू.अ./2017 दिनांक 04 मई, .2017 के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरुप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 320/1 (नये खसरा नम्बर 422, 423) रकबा 8.84 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. भगवानसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा बठोठ मूर्तहीन	423 मी.	2.01 हैक्टेयर
2. राजस्थान सरकार	423 मी	0.02 हैक्टेयर
3. मदनलाल चन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह पि. जगदीशसिंह जाति राजपूत सा. आरटीओ के दक्षीण में राधाकिशनपुरा प्रहलादसिह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत सा. राज सिनेमा हॉल के पास सीकर रकबा 3.86 बोदूसिंह पुत्र जगदीशसिंह रकबा 0.56 जाति राजपूत सा. टीबा राधाकिशनपुरा जिला सीकर	423 मी 422 मी.	4.41 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर
4. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ सा. देह	423 मी	1.19 हैक्टेयर
5. श्रवणसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति राजपूत सा. देह	423 मी	1.20 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मोहनलाल बनाम भगवानसिंह आदि

<u>दावा बाबत बंटवारा</u>

दावा मुकदमा नं. 108/2014 निर्णय दिनांक– 29.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी श्री मोहनसिंह जाखड़, एड. रूबरू श्री सुरेन्द्रसिंह, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 320/1 (नये खसरा नम्बर 422, 423) रकबा 8.84 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म
1. भगवानसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा बठोठ मूर्तहीन	423 मी.	2.01 हैक्टेयर	बा.1
2. राजस्थान सरकार	423 मी	0.02 हैक्टेयर	–
3. मदनलाल चन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह पि. जगदीशसिंह जाति राजपूत सा. आरटीओ के दक्षीण में राधाकिशनपुरा प्रहलादसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत सा. राज सिनेमा हॉल के पास सीकर रकबा 3.86 बोदूसिंह पुत्र जगदीशसिंह रकबा 0.56 जाति राजपूत सा. टीबा राधाकिशनपुरा जिला सीकर	423 मी 422 मी.	4.41 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर	गै.मु.चाह
4. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ सा. देह	423 मी	1.19 हैक्टेयर	–
5. भगवानसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति राजपूत सा. देह	423 मी	1.20 हैक्टेयर	–

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

खर्चा ________ मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

आज बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. [illegible] पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ______ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामील 6. कमिश्नर की फीस	